Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding death of wild animal in Mini Zoo of Kanan Pendari, Bilaspur District, Chhatisgarh.

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपको मन से धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है ।

महोदय, वे बेजुबान अवश्य हैं, लेकिन बेसहारा नहीं हैं । भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का ठीक ढंग से अनुपालन न किए जाने के कारण बीमारी और कुपोषण का जानवर शिकार हो रहे हैं । 17 जून, 2019 को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के कानन पेंडारी मिनी चिड़ियाघर में एक मादा दरियाई घोड़ा, जिसका नाम सजनी था, उसकी मौत हो गई । सजनी के पोस्टमार्टम में बच्चा निकाला गया । इससे पता चलता है कि वन्य प्राणियों का रूटीन चैकअप नहीं हो रहा है । इसी प्रकार से शतुरमुर्ग से लेकर अन्य प्राणियों की भी बात है और जहां भी चिड़ियाघर हैं, वहां से छत्तीसगढ़ सरकार लाखों रुपये टिकट लगाकर कमा रही है, लेकिन उन प्राणियों की रक्षा नहीं कर रही है । मेरा राज्य सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि इस मामले की जांच कराए ।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।